Ph. & Fax : 01364-233207

email : cdupjnrudraprayag@gmail.com

# कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1572 / वनभूमि / 23 दिनांक 28/5/2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

**विषयः—** **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगरीय पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वनभूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक 646/12—1 (2) दिनांक 09.09.2020 एवं पत्रांक 648/12—1(2) दिनांक 09.09.2020 तथा पत्रांक 647/12—1 (2) दिनांक 09.09.2020 द्वारा इस शाखा की पेयजल योजनायें क्रमशः रूद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पेयजल योजना, तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना तथा अगस्तमुनि नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु प्रभावित होने वाली वनभूमि जो 1.00 है0 से अधिक है के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वनभूमि सिविल सोयम वनभूमि का राजस्व विभाग से चयन करवाकर चयनित भूमि का डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किए जाने हेतु अवगत कराया गया है। इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 2867/वनभूमि/76 दिनांक 16.10.2020 द्वारा भी उक्त हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि निम्नानुसार वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वनभूमि के चयन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक दुगनी वनभूमि चयन कर वनभूमि पत्रावली पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रूद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पेयजल योजना — | 2.0951 हे0 X 2 = 5.902 हे0 |
| 2. | तिलवाडा नगर पंचायत पेयजल योजना — | 1.234 हे0 X 2 = 2.468 हे0 |
| 3. | अगस्तमुनि नगर पंचायत पेयजल योजना — | 1.53 हे0 X 2 = 3.06 हे0 |
| | कुल भूमि — | 11.43 हे0 |

भवदीय,

/

अधिशासी अभियन्ता

**पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि :—**

1. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
3. श्री प्रवीण शाह, सहायक अभियन्ता एवं श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्राथमिकता पर अग्रिम कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं अति महत्वपूर्ण समझें।

अधिशासी अभियन्ता

*"जल संचय— जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"*
*वैधानिक चेतावनी — जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।*